International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-2, Issue-2 April- 2015 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि एवं वर्तमान प्रासांगिकता

दिनेश कुमार शर्मा
शोधार्थी
श्री जगदीष प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय
झून्झुनू (राज.)

डॉ० जितेन्द्र कुमार शर्मा
शोध निर्देषक
श्री जगदीष प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय
झून्झुनू (राज.)

विश्व में मानवाधिकार की भावना का श्री गणेश भारत की सभ्यता के साथ हुआ। बुद्धि प्रयोग की क्षमता तथा **'आत्मवत् सर्वभूतेषु'** जैसे उदार चिन्तन के कारण ही मानव को प्राणियों में श्रेष्ठ एवं मूर्धन्य माना गया।

वैदिक साहित्य एवं मानवाधिकार–

वर्तमान राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के मानदण्ड तथा उनकी प्रासंगिकता को लेकर सर्वत्र चर्चायें हो रही हैं तथा मानवाधिकार शिक्षा एक ज्वलन्त प्रश्न के रूप में उभर कर आयी है। मानवाधिकार क्या है? इसकी मूल अवधारणा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस **जे. एस. वर्मा** ने एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया ष्न्उंद त्पहीजे तम सस जीवेम बींतंबजमतपेजपबे वत जजतपइनजमे जींज तम मेमदजपंस जव सपमि पूजी कपहदपजलण्[1] व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आधार प्राप्त करते हुये प्रकृतिप्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकारों के समस्त उपादान मानवाधिकार के मानदण्ड हैं। वैदिक समाज में शिक्षक का जीवनस्तर अत्यन्त उन्नत था, जीवन का उद्देश्य भी व्यापक और सर्वतोभद्र था। तत्कालीन जीवन के आयाम अपनी व्यक्तिगत सीमाओं, पारिवारिक परिधियों तथा सामाजिक दायरों में अन्तर्राष्ट्रीय मानवता के स्तर को स्पर्श करते हैं।

वैदिक जीवन की आचार संहिता वर्तमान परिवेश में मानवाधिकार शिक्षा को पर्याप्त प्रेरणा तथा मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम है। पृथ्वी को माता मानने वाले विश्व के अधिवासी वैदिक ऋषियों की प्रार्थनायें सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं जिनमें चराचर जगत में बन्धुत्व एवं मानव मात्र के लिये सौहार्द, मैत्री, समानता, संगठन एवं सहयोग की उदात्त भावनाओं का चरम निदर्शन है।

मानवमात्र के लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय की सिद्धि वेद में प्रतिपादित है। मानवाधिकार रिपोर्ट्स के अनुसार मानवाधिकारों के हनन के लिये सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक असमानतायें सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों का समाज समत्व का पोषक था, आर्य जाति के सांस्कृतिक हीं भी वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर उपदेश नहीं दिया गया वरन् सम्पूर्ण मानव वर्ग या प्राणीमात्र के हित साधन का उपदेश दिया गया है। मानवीय जीवन की सर्वतोन्मुखी उन्नति के लिये अपेक्षित आदर्शों और मूल्यों का वेद में अनेक स्थानों पर प्रतिपादन जीवन में एकरूपता थी, व्यक्ति समाज का आवश्यक अंग था अतः वेद में क किया गया है।

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।।

सबके साथ सहानुभूति, सहयोग और प्रेम का आचरण मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सर्वाधिक वांछनीय तत्व है। वेद में कहा गया है– एक दूसरे की सर्वदा रक्षा और सहायता करना मनुष्यों का प्रधान कर्त्तव्य है– ''पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतः।'' इस प्रकार मनुष्य मात्र के प्रति सौहार्द और कल्याण की भावना सैकड़ों वेदमन्त्रों में बताई गई है। समस्त मानव समुदाय के लिये स्वस्ति, भद्र और श्रेयस् वैदिक ऋषियों के इष्ट रहे हैं। वैदिक प्रार्थनाओं से स्पष्ट है कि वैदिक समाज विशुद्ध वर्गहीन समाज था। उत्तरवैदिक काल में चार वर्णों की अवधारणा साकार हुई तब भी उनमें परस्पर हार्दिक स्नेह तथा समत्व की निरन्तर पुष्टि होती रही। चारों वर्णों का अंगागिभाव सम्बन्ध बताया गया है। ये वर्ण परस्पर संघर्ष रहित तथा पारस्परिक सहयोग पर ही अवलम्बित थे। वैदिक मंत्रों में चारों वर्णों के लिये समत्व और मतत्व के साथ हितकामना की गई–

रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि।
रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्।।

पूंजीवाद–श्रम–सम्पत्ति विभाजन की समस्या का समाधान करते हुए यजुर्वेद में त्यागपूर्वक भोग करने का उपदेश दिया गया है–

तेन त्येक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्।

वेद में यज्ञ तथा दान की प्रशंसा तथा कृपण की निन्दा के पीछे भी वस्तु विभाजन का चिन्तन प्रधान है। जहां सर्वोदय का भाव क्रियान्वित होता हो, वहां सभी के अधिकारों की रक्षा होती है।

इसी प्रकार वेद में लैंगिक समानता का भी प्रतिपादन है। स्त्री–पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है। स्त्रियां वाकोवाक् सम्मेलनों में भाग लेती थीं। इन्हें उपनयन, ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन तथा यज्ञादि समस्त कर्मों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि ऋषिकायें लैंगिक असमानता या फेमिनिज्म की आवाज उठाने वालों का पर्याप्त मार्गदर्शन कर सकती हैं। वैदिक नारी कहती है–

अहं केतु अहं मूर्धा अहमुग्रा विवाचनी।
ममेदनु क्रतुं पतिः सहानाया उपाचरेत्।।

मैं ध्वजा रूपी प्रधानता की प्रतीक हूँ, मैं प्रज्ञा के समान आदरणीय हूँ, मैं सबला हूँ, मैं बहुभाषाविज्ञा हूँ, वक्ता हूँ, शत्रु को जीतने वाला मेरा पति मेरे अनुकूल मेरा परामर्श लेकर कार्य करे। इतना प्रबल आत्मविश्वास तो आज शक्तिसम्पन्न उच्चपदासीन नारियों में भी दृष्टिगोचर नहीं होता।

इसी प्रकार वेद में आर्थिक समानता का भी अनेक स्थलों पर प्रतिपादन है धनार्जन के लिये सुमार्ग तथा धर्मयुक्त साधनों की कामना की गई है।

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान।
आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञियासा।

हे प्रकाशरूप प्रभो! आप हमारे कर्मों को जानते हो, हमें धनादि के लिये धर्म युक्त सुमार्ग दीजिये, सुबुद्धि दीजिये ताकि उत्तम साधनों से धनार्जन हो और यह धन शुद्ध, पवित्र, यज्ञमय, परोपकारी कर्म तथा जीवन के लिये हो।

दार्शनिक सूक्तों का मानवाधिकार–

मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा' के द्वितीय अनुच्छेद में कहा गया है कि– 'प्रत्येक व्यक्ति, जाति, रंग, भाषा, लिंग, धर्म, राजनीतिक या सामाजिक उत्पत्ति, जन्म आदि विभेद से रहित मानव मात्र है। इस अधिकार की मीमांसा वैदिक ऋषियों ने पुरुष, हिरण्यगर्भ और नासदीय सूक्तों में की है। इन सूक्तों के अनुसार सबका जन्म समान भाव से, एक ही यज्ञ से हुआ है, अशेष प्राणियों में एक जैसी चेतना है, तो फिर वर्ण, लिंग, जन्म, भाषा आदि से उत्पन्न विभेद क्यों रहे?

इस भांति वेद में अनेक स्थलो पर अहिंसा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शिव संकल्पों से युक्त होते हुये सर्वांगीण अभ्युत्थान के साथ सौ और उससे भी अधिक वर्ष जीने का अधिकार मानव को प्राप्त है–

जीवेम शरदः शतं, बुध्येम शरदः शतं, रोहेम शरदः शतं, पूषेम शरदः शतं
भवेम शरदः शतं, भूयेम शरदः शतं, भूयसी शरदः शतात्।।

वैदिक साहित्य के कतिपय सूक्तों के सम्यक् अध्ययन के साथ ही साथ मानवाधिकार शिक्षा का मूल पाठ भी हृदयंगम हो जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य विश्वकल्याण–शक्ति या सर्वतोभद्र है।

समतामूलक सूक्तों में मानवाधिकार–

मनवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के तीस में से लगभग पाँच अनुच्छेदों में भ्रातृत्व, समता, एकान्तता, स्वतन्त्रता आदि मानवीय गुणों का उल्लेख किया गया है जिनका उपदेश वैदिक ऋषियों ने आर्यों को मानव सभ्यता के प्रारम्भिक काल में ही दे दिया था। अनुच्छेद में कहा गया है, कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र है तथा अधिकार एवं मर्यादा में एक समान हैं, उनमें विवेक तथा बुद्धि है तथा उन्हें एक दूसरे के साथ भ्रातृत्वभावयुक्त व्यवहार करना चाहिए। यह विचार 'संज्ञानसूक्त' की ऋचाओं का भावार्थ लगता है–

''संगच्छध्वं संबदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्
देवा भागं यथापूर्वे, संजानाना उपासते।
समानो मन्त्रः, समितिः समानी, समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति।''

इसी प्रकार अनुच्छेद सात में विधि के समक्ष समता के अधिकार की चर्चा करते हुए कहा गया है कि 'विधि के समक्ष सभी समान हैं एवं किसी विभेद के बिना उन्हें विधि के संरक्षण का अधिकार है।इस शिक्षा को वैदिक ऋषि ने सरलतम शब्दों में देते हुए कह दिया था कि कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, सभी परस्पर भाई–भाई हैं और सौभाग्य के लिए साथ–साथ वृद्धि को प्राप्त करते हैं–

वर्तमान विश्व एवं मानवाधिकार–

किसी भी देश के सभ्य और सुसंस्कृत होने की कसौटी अब यह नहीं रही कि वह कितना अमीर या बलशाली है। कसौटी यह है कि वहाँ मानव अधिकारों का कितना सम्मान होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीतयुद्ध के दौरान मानव अधिकार आन्दोलन पर अमेरिका तथा मध्य यूरोप की विश्व राजनीति का जो ग्रहण लगा था, उसकी छाया अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसके बावजूद मानव अधिकारों की चेतना व्यापक होती जा रही है।

मानव अधिकारों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने और उन्हें संगठित रूप देने का पहला अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास 25 सितम्बर, 1926 को दासता के विरूद्ध हुए विश्व सम्मेलन के रूप में सामने आया।

लगभग चार वर्ष बाद 28 जून, 1930 को बलात् श्रम पर सम्मेलन हुआ। 18 साल के लम्बे अन्तराल के बाद मानव अधिकारों की पहली सुव्यवस्थित घोषणा 10 दिसम्बर, 1948 को सामने आयी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गयी यह घोषणा ''मानव अधिकारों की विश्व घोषणा'' कहलाती है। फिर तो यह सिलसिला कभी नहीं रूका। आज स्त्री अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि अनेक विषयों पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है।

सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र को अंगीकार किया गया। इसमें मानवाधिकारों और स्वतन्त्रताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य को प्रमुखता दी गई। इस घोषणा–पत्र की प्रस्तावना में बुनियादी मानवाधिकारों, व्यक्तियों की गरिमा एवं मूल्यों, बड़े और छोटे सभी राष्ट्रों के पुरुषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों की पुनःपुष्टि के लिए कृतसंकल्प संयुक्त राष्ट्र के घोषित उद्देश्यों में प्रमुख मानवाधिकारों के लिए सम्मान बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तैयार करना बताया गया है। इसके अन्य उद्देश्य हैं, आन्तरिक शांति कायम रखना और राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण रिश्तों का विकास। घोषणा–पत्र की धारा 68 में कई आयोगों के गठन का प्रावधान है, जिनमें एक मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए भी है।

अब तक घोषणा–पत्र को व्यावहारिक सत्ता प्राप्ति हो चुकी है, जिससे कुछ लोग यह विश्वास करने लगे हैं कि यह लगभग अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा–पत्र को अंगीकार करने पर टिप्पणी करते हुए प्रो. जॉन पी. हम्फ्रे ने (इवान लुआई सम्पादित ''द इन्टरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स'' में) लिखा, ''हमारे समय के चिन्तन पर संयुक्त राष्ट्र के किसी अन्य कानून का इतना प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें सर्वोत्तम आकाँक्षाएं निहित एवं घोषित हैं। सम्भव है कि यह इतिहास में मुख्य रूप से महान नैतिक, सिद्धान्तों के वक्तव्य के रूप में जीवित रहे। किसी भी अन्य राजनीतिक दस्तावेज या कानूनी उपकरण की तुलना में इसका प्रभाव अधिक गहरा एवं स्थायी है।''

'अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभग्याय।

वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र महासाभ द्वारा पारित मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के समस्त अनुच्छेद, वैदिक साहित्य में माला के टूट जाने पर पृथक् हुये मोतियों के समान बिखरे हुये हैं, आवश्यकता यह है कि हम उन मोतियों को एकत्रित कर, विश्व बौद्धिक समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे वैदिक साहित्य के नवीन दृष्टिकोण को समझने–समझाने में सुगमता होगी।

वैदिक काल में ही मानवाधिकार की चेतना का उन्मेष हो गया था अतः यह कहना अतिरंजन नहीं होगा कि मानवाधिकार का बोध भारत में नया नहीं है अपितु भारत इसका जनक है एवं वर्तमान परिस्थितियों में मानवाधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है जो बालक के सर्वागीण विकास एवं उत्तम चरित्र निर्माण हेतु आवष्यक है।

सन्दर्भित ग्रंथ

1. 11 दिसम्बर, 1999 विश्व मानवाधिकार दिवस को प्रदत्त भाषण के आधार पर।
2. द्यौमें जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथ्वी महोदयम। (ऋग्वेद 1.164.33)
3. ऋग्वेद 6.75.14
4. वा. सं. 18.48 वा. सं. 40.1
5. ऋग्वेद 10.156.2
6. यजुर्वेद 40.16
7. ऋग्वेद 10.18.2
8. मानवाधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय विधेयक पृ. 5
9. ऋग्वेद 10.121
10. ऋग्वेद 10.129
11. अथर्ववेद 19.67
12. मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, गर्ट वेस्टरवीन, पृ. 3
13. ऋग्वेद 10.191. 2 व 4